भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 254

05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए निर्धारित

प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान संबंधी अनुदान

***254. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः**

श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का इरादा उच्च क्षमता वाले अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए प्रधान मंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान संबंधी अनुदान से जुड़े मौजूदा ढांचे को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान इन प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत चुने गए अध्येताओं की कुल संख्या सहित युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई केन्द्र सरकार की पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेधावी छात्रों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली सक्रिय छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके पात्रता मानदंड क्या हैं तथा ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में वंचित समुदायों वाले क्षेत्रों में उनकी प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का क्या आकलन है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>"प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान" विषय पर दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए निर्धारित लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण"</u>

(क) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) ने प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश भर के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में प्रारंभिक करियर के शोधकर्ताओं को विज्ञान और अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक-करियर शोधकर्ताओं को स्वतंत्र अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करने, लचीलेपन के साथ उच्च गुणवत्ता वाला अनुसंधान करने और भारत में दीर्घकालिक अनुसंधान करियर विकसित करने में सक्षम बनाकर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। अपने करियर के प्रारंभिक चरणों में शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करके यह कार्यक्रम देश में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने और वैज्ञानिक प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने में योगदान देने का प्रयास करता है।
एएनआरएफ द्वारा प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके शुभारंभ से लेकर 29 जुलाई 2026 तक सहायता प्राप्त युवा शोधकर्ताओं की संख्या निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्रदान की गई परियोजनाओं की संख्या
2025-26	714
2026-27	578

एएनआरएफ ने पीएचडी पूरी करने के बाद युवा शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (एनपीडीएफ) कार्यक्रम भी आरंभ किया है, जो उन्हें देश में ही बनाए रखने में प्रभावी है। एन-पीडीएफ का उद्देश्य मेधावी युवा शोधकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान करना है। ये अध्येता एक मार्गदर्शक के अधीन काम करेंगे, और यह आशा की जाती है कि यह प्रशिक्षण उन्हें स्वतंत्र शोधकर्ताओं के रूप में विकसित होने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विगत पांच वर्षों के दौरान एएनआरएफ द्वारा सहायता प्राप्त एनपीडीएफ अध्येताओं की कुल संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त अध्येताओं की संख्या
2021-22	272
2022-23	235
2023-24	96
2024-25	205
2025-26	557

(ख) सरकार ने अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न चरणों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) योजना, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) और नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (एन-पीडीएफ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का रामालिंगास्वामी पुनः प्रवेश अनुसंधान कार्यक्रम, और शिक्षा मंत्रालय की प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठ (पीएमआरसी) योजना शामिल हैं।

इंस्पायर योजना का उद्देश्य अपने विभिन्न घटकों, जिनमें इंस्पायर-मानक, इंस्पायर अध्येतावृत्ति और इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति शामिल हैं, के माध्यम से मेधावी छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने तथा अनुसंधान को करियर के रूप में चुनने के लिए आकर्षित करना है। विगत पांच वर्षों के दौरान इंस्पायर कार्यक्रमों के अंतर्गत चयनित अध्येताओं/शोधकर्ताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**इंस्पायर-मानक**	**इंस्पायर अध्येतावृत्ति**	**इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति**
2021-22	52720	359	71
2022-23	43381	919	86
2023-24	46926	796	100
2024-25	50009	305	58
2025-26	49805	856	171

प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठ (पीएमआरसी) योजना उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, मार्गदर्शन और संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का अनुभव रखने वाले भारतीय मूल के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और पेशेवरों को आकर्षित करना और सहभागी बनाना है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का रामालिंगास्वामी पुनः प्रवेश अनुसंधान कार्यक्रम विदेशों में कार्यरत अत्यधिक कुशल भारतीय वैज्ञानिकों की देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में वापसी और उनके पुनर्एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 75 उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करता है और प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को भारत में अनुसंधान को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अध्येतावृत्ति सहायता प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों के दौरान डीबीटी के रामालिंगास्वामी पुनः प्रवेश अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित वैज्ञानिकों की वर्ष-वार संख्या निम्नवत है:

कार्यक्रम/ योजना	वर्ष	चयनित युवा वैज्ञानिकों की वर्ष-वार संख्या
डीबीटी रामालिंगास्वामी पुनः प्रवेश अध्येतावृत्ति	2020-21	75
	2021-22	61
	2022-23	47
	2023-24	36
	2024-25*	परिणाम जारी किया जाना है

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इंस्पायर योजना का उच्चतर शिक्षा के लिए इंस्पायर छात्रवृत्ति (इंस्पायर-शी) घटक मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन के अवसरों के माध्यम से मूलभूत एवं प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 तक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

पात्र आवेदकों में वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने केंद्रीय/राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में शीर्ष 1% अंक प्राप्त किए हों तथा प्रत्यक्ष माध्यम के अंतर्गत मूलभूत एवं प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक अथवा एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत हों। संस्थागत माध्यम के अंतर्गत, आईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईएसईआर जैसे निर्दिष्ट प्रमुख संस्थानों में अधिसूचित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र भी पात्र हैं। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्र को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन बनाए रखना अनिवार्य होगा।

वित्तीय वर्ष	**इंस्पायर-शी के लाभार्थियों की संख्या**
2021-22	8643
2022-23	8447
2023-24	7976
2024-25	9492
2025-26	9046

ये योजनाएं उनके संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर में लागू की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िलों से चयनित लाभार्थियों/शोधार्थियों का विवरण निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी धनराशि
2021-2022	273	27300000
2022-2023	289	26400000
2023-2024	215	17280000
2024-2025	140	9960000
2025-2026	144	11700000
कुल	1061	92640000

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना – महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशतक में स्थान प्राप्त करने वाले और 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 82,000 तक नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र श्रेणियों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त 50% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। विगत पांच शैक्षणिक वर्षों के दौरान भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत वितरित की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में पीएम-यूएसपी सीएसएसएस के अंतर्गत वितरित छात्रवृत्तियां (नई + नवीनीकरण)	
शैक्षणिक वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**
2021-2022	1575
2022-2023	1606
2023-2024	1279
2024-2025	919
2025-2026	890
कुल	6269

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कार्यान्वित पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएस) के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के अधिवासित छात्रों को इन संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र छात्रों का चयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष 5,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
